किया जाकर पत्रावली दिनांक 12-12-19 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

12/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० / बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायल ने अपने प्रा०पत्र T.I. के समर्थन में गैर सायल वगै० को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

Scanned by CamScanner

करने बाबत निवेदन किया गया। वकील गैर सायलान ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि सायलान पक्ष यदि अपनी खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान कराया जाकर अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है तो गैर सायलान पक्ष को कोई आपत्ति नही है। बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070-73 ग्राम भावंरा के अनुसार विवादित भूमि आ.ख.नं. 119, 121, 126, 127, 130, 131 कुल किता 6 का रकबा 1.85 हेक्टर सायलान वगै. के पिता केदार के नाम खातेदारी होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। जिसके कारण गैर सायलान वगै. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः मूल दावे के निस्तारण तक गैर सायलान वगै. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम भावंरा के आ.ख.नं. 119, 121, 126, 127, 130, 131, कुल किता 06 रकबा 1.85 हेक्टर में सायल के कब्जे काश्त फसल जोतने, बोने, काटने में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। तथा सायलगण वगै. अपनी खातेदारी भूमि का प्रथक से सीमाज्ञान कराया जाकर निशानात कायम करने हेतु तहसीलदार बामनवास के यहां सीमाज्ञान का आवेदन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। तथा मूल पत्रावली दावे की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 12-12-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला–स०मा०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.12.27 14:02:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: